



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-29042025-262752  
CG-DL-W-29042025-262752

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY  
साप्ताहिक  
WEEKLY

सं. 13] नई दिल्ली, अप्रैल 20—अप्रैल 26, 2025, शनिवार/चैत्र 30—वैशाख 6, 1947  
No. 13] NEW DELHI, APRIL 20—APRIL 26, 2025, SATURDAY/CHAITRA 30—VAISAKHA 6, 1947

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके  
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं  
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India  
(Other than the Ministry of Defence)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 15 अप्रैल, 2025

सा.का.नि. 44.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गृह मंत्रालय के अधीन महानिदेशालय (अग्निशमन सेवा, नागरिक सुरक्षा एवं गृह रक्षक) में सवार हरकारा के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, महानिदेशालय (अग्निशमन सेवा, नागरिक सुरक्षा एवं गृह रक्षक), सवार हरकारा (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2025 है।  
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर : उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption grade from which promotion or deputation/ absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(10)	(11)	(12)	(13)
100% by direct recruitment. Note-vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under any other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from amongst officers of Central Government holding: – (a) analogous post on regular basis in the level-1 of pay matrix (Rs. 18000-56900); and (b) possessing the qualification prescribed for direct recruits under column (7).	Not applicable.	Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- 1. Director, Regional Leprosy Training and Research Institute, Raipur -Chairman; 2. Deputy Director, Regional Leprosy Training and Research Institute, Raipur – Member; 3. Senior Medical Officer, Regional Leprosy Training and Research Institute, Raipur –Member.	Not applicable.

[F. No. . A-12018/77/2019-Lep]

SRIKANT SINGH KUSHWAHA, Under Secy.

नई दिल्ली, 21 जनवरी, 2025

**सा.का.नि. 47.**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और केन्द्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण अनुसंधान संस्थान, (समूह 'घ' पद) भर्ती नियमावली, 1978 को, जहां तक उनका संबंध धोबी के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन केन्द्रीय कुष्ठ शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु में धोबी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय कुष्ठ शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु, धोबी (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

**2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और इससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

**3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

#### 4. निरर्हता : वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति:** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति:** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

#### अनुसूची

पद का नाम।	पद की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	चयन पद या अचयन पद।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धोबी	02* (2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1(18000-56900 रुपये)	लागू नहीं होता।	आयु 18 से 27 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सामान्य अभ्यर्थियों की दशा में विभागीय अभ्यर्थियों के लिए चालीस वर्ष की आयु तक तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की दशा में पैंतालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) <b>टिप्पण :</b> आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गयी अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिला तथा चंबा जिले का पांगी उपखंड और लद्दाख,

					अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह और लक्षद्वीप संघ राज्य-क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।
--	--	--	--	--	--

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।
(7)	(8)	(9)
<p>आवश्यक :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण।</li> <li>2. किसी अस्पताल या संस्थान में सुसंगत क्षेत्र में एक वर्ष का अनुभव।</li> </ol> <p><b>टिप्पण 1:</b> अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, शिथिल की जा सकती है।</p> <p><b>टिप्पण 2:</b> अनुभव संबंधी अर्हताएं कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं, जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।</p>	लागू नहीं होता।	दो वर्ष।

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(10)	(11)	(12)	(13)
<p>सीधी भर्ती द्वारा।</p> <p><b>टिप्पण :</b> पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किसी अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेगी, -</p> <p>(क) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; और</p> <p>(ख) जो स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव रखते हैं।</p>	लागू नहीं होता।	<p>समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. अपर निदेशक (नैदानिक), केन्द्रीय कुछ शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु - अध्यक्ष;</li> <li>2. सहायक निदेशक (सर्जिकल), केन्द्रीय कुछ शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु - सदस्य;</li> </ol>	लागू नहीं होता।

		3. सहायक परिचर्या अधीक्षक, केन्द्रीय कुष्ठ शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु - सदस्य ।	
--	--	--	--

[फा. सं. ए.12018/10/2020-कुष्ठ]

श्रीकांत सिंह कुशवाहा, अवर सचिव

New Delhi, the 21st January, 2025

**G.S.R. 47.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the General Leprosy Training Research Institute (Group D Posts) Recruitment Rules, 1978, in so far they relate to the post of Dhobi, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Dhobi in the Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu, under the Ministry of Health and Family Welfare namely:—

**1. Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu, Dhobi (Group ‘C’ Post) Recruitment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Number of posts, classification and level in pay matrix.**— The number of the said post, its classification and level in pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

**3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**— The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

**4. Disqualification.**— No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt such person from the operation of this rule.

**5. Power to relax.**— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

**6. Saving.**— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

#### SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Dhobi	2* (2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group ‘C’, Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level- 1 in the pay matrix (Rs.18000-56900).	Not applicable.

Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.
(6)	(7)	(8)	(9)
Between 18 and 27 years of age. (Relaxable for the departmental candidates upto the age of forty years in case of general candidates and forty-five years in case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). <b>Note:</b> The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub-Division of Chamba district of Himachal Pradesh and the Union territories of Andaman and Nicobar Islands, Ladakh and Lakshadweep.	Essential: 1. 10th class pass from recognised Board. 2. One year experience in the relevant field in a hospital or institute. <b>Note 1.</b> -Qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of the candidates otherwise well qualified. <b>Note 2.</b> -The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Competent Authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.	Not applicable.	Two years.

Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or by deputation / absorption, grades from which promotion or deputation / absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(10)	(11)	(12)	(13)
By direct recruitment. <b>Note.</b> - Vacancy caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government,- (a) holding analogous posts on regular basis in the parent	Not applicable.	Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-  1. Additional Director (Clinical), Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu – Chairman;	Not applicable.

cadre or department; and  (b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column (7).		2. Assistant Director (Surgical), Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu - Member;  3. Assistant Nursing Superintendent, Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu -Member;	
---	--	--	--

[F. No. A.12018/10/2020-Lep]

SRIKANT SINGH KUSHWAHA, Under Secy.

नई दिल्ली, 17 अप्रैल, 2025

**सा.का.नि. 48.**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और सामान्य कुछ रोग प्रशिक्षण अनुसंधान संस्थान, (समूह घ पदों) भर्ती नियमों, 1978 को, जहाँ तक उसका संबंध केन्द्रीय कुछ रोग शिक्षण और अनुसंधान संस्थान के पदों से है, सफाई जमादार, सफाई कर्मचारी, चौकीदार, माली, लेजर, कार्टमैन, छात्रावास परिचायक, कार्यालय परिचायक (दफ्तरी) और चपरासी स्टोर परिचायक और परिचायक (एमसीआर) भर्ती नियम, 1988 को, जहाँ तक उसका संबंध स्टोर परिचायक के पद से हैं, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, केन्द्रीय कुछ रोग शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चिंगलपट्टूर, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में बहुकार्य कर्मचारीवृंद के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय कुछ रोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चिंगलपट्टूर, बहुकार्य कर्मचारीवृंद (समूह 'ग' पद), भर्ती नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

**2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर –** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

**3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि –** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

**4. निरर्हता :** वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।